द्वितीय मार्फत रामकिशन
T.9 संख्या 218/2018

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित प्रति सं. 1 व 2 बावजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित। प्रति सं. 3 व 4 (बावजूद पूर्व उपस्थिति दि० 20/9/22) अनुपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 ला०प० के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाती है। वास्ते बहस T.9 हेतु दिनांक 23/4/24 को पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)
	23/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली [illegible] 29/4/24 को पेश हों।
	29/4/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० [illegible] कार्य में व्यस्त है। [illegible] 18/6/24 को पेश हो।
	18/6/24	पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी व उप वकील प्रार्थी की बहस T.2 [illegible] बहस वकील प्रार्थी व प्रार्थी का मय स्पष्ट निर्देश दिये जाने पर मुख्य बहस के निस्तारण तक कार्यवाही को जारी रखने निर्देश जारी से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम [illegible] पटवार [illegible] स्थित [illegible] 173, 476 [illegible] भूभाग का बेदखल करे। [illegible] स्थित वर्तमान पत्रावली पर स्थल शुमार है। [illegible] नक्शे का ही बाद समाधान दाखिल [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:14:04 IST
Reason: SelfAttested